



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1947 (श10)
(सं0 पटना 1637) पटना, मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना

5 अक्टूबर 2025

सं० 4/बि०रा०ना०परि०-01-11/2025 मं०सं०-1082—मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना द्वारा पूर्व में निर्गत सभी संकल्पों/अधिसूचनाओं को अवक्रमित करते हुए लोकहित में तात्कालिक प्रभाव से संकल्प संख्या-1353, दिनांक-24.07.2009 के आलोक में अररिया जिला के जिला नागरिक परिषद् का गठन किया जाता है तथा इसमें निम्नांकित रूप से अगले आदेश तक के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों को नामित किया जाता है:-

जिला-अररिया

क्र०	पदधारक का विवरण	पद
1.	श्री नीतीश मिश्रा, माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार। जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष-सह-प्रभारी मंत्री।	अध्यक्ष
2.	श्री संजय कुमार दास पिता-श्री सत्यनारायण दास ग्राम+पो0-परबाहा, वार्ड नं0-10, थाना-फारबिसगंज, जिला-अररिया, पिन-854318 मो0-9546035590	उपाध्यक्ष
3.	सविता सिंह अररिया, वार्ड नं0-14, प्रखंड- अररिया, पिन कोड- 854311, मो0- 9162757342	उपाध्यक्ष
4.	श्रीमती पूजा रानी वीर ग्राम+पो0- बेलसरा विरा, वार्ड नं0- 04, प्रखंड- रानीगंज, पिन कोड- 854334, मो0- 6207763242	सदस्य
5.	श्री परमानंद रिषीदेव ग्राम- हरिपुर, प्र0- फारबिसगंज, मो0- 8340461363	सदस्य

क्र०	पदधारक का विवरण	पद
6.	श्री अनुज कुमार प्रधान रानीगंज नगर पंचायत, वार्ड नं०- 12, प्र०- रानीगंज, अररिया, मो०- 8340637830	सदस्य
7.	श्री निरज कुमार ग्राम- कमलपुर हौसा, प्र०- रानीगंज, जिला- अररिया, पिन कोड- 854312, मो०- 9199761165	सदस्य
8.	मो० आदिल मुकतार ग्राम- बसेटी, थाना- बोसी, प्र०- रानीगंज, अररिया, मो०- 9304554720	सदस्य

2. शेष रिक्तियों पर मनोनय बाद में किया जायेगा।

3. जिला नागरिक परिषद् के अध्यक्ष, सदस्य सचिव एवं अन्य सदस्य विभागीय संकल्प संख्या-1353, दिनांक-24.07.2009 के निहित प्रावधान के अनुसार निम्नवत् हैं :-

- (i) जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष-सह-प्रभारी मंत्री-अध्यक्ष
- (ii) जिला के सभी लोक सभा सदस्य-पदेन सदस्य
- (iii) जिला के वैसे राज्य सभा सदस्य जिनका गृह जिला प्रश्नगत जिला में अवस्थित हो-पदेन सदस्य
- (iv) जिला के विधान सभा के सभी सदस्य-पदेन सदस्य
- (v) जिला के विधान परिषद् के वैसे सदस्य, जिनका गृह जिला प्रश्नगत जिला में अवस्थित हो-पदेन सदस्य
- (vi) जिला परिषद् के अध्यक्ष तथा जिला मुख्यालय एवं जिला स्थित सभी नगर निगम के महापौर अथवा नगर निकाय के अध्यक्ष-पदेन सदस्य
- (vii) जिला के जिला पदाधिकारी-सदस्य सचिव
- (viii) पुलिस अधीक्षक-सदस्य
- (ix) इसके अतिरिक्त जिला के उप विकास आयुक्त तथा सभी जिला स्तरीय प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारी-पदेन सदस्य

4. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अनिता सिंह,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1637-571+100-डी०टी०पी०

Website: : <https://egazette.bihar.gov.in>